

उत्तराखण्ड शासन
सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण अनुभाग-02
देहरादून: दिनांक 02 अप्रैल/2022
अधिसूचना

उत्तराखण्ड राज्य में स्थित बांधों की सुरक्षा हेतु भारत सरकार द्वारा अधिसूचित Dam Safety Act, 2021 की धारा-14 में निहित प्राविधान के अन्तर्गत राज्य में State Dam Safety Organization (SDSO) का गठन निम्नानुसार किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृत प्रदान करते हैं:-

1	अध्यक्ष	मुख्य अभियन्ता, देहरादून।
2	सदस्य	1. मुख्य अभियन्ता, स्तर-I, परिकल्प एवं निदेशक, सिंचाई अनुसंधान संस्थान, रुड़की द्वारा नामित अधीक्षण अभियन्ता। 2. अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई कार्य मण्डल, ऊधमसिंहनगर। 3. अधीक्षण अभियन्ता, नलकूप मण्डल, रुड़की। 4. अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई कार्य (पुनर्वास) मण्डल, ऋषिकेश। 5. प्रबंध निदेशक, यू0पी0डी0सी0सी0 द्वारा नामित प्रबंधक (सिविल)। 6. प्रबंध निदेशक, यू0जे0वी0एन0एल0 द्वारा नामित प्रबंधक (सिविल)। 7. प्रबंध निदेशक, यू0जे0वी0एन0एल0 द्वारा नामित प्रबंधक (यांत्रिक)। 8. उप महा निदेशक, भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण, देहरादून द्वारा नामित भू-वैज्ञानिक।

उपरोक्तानुसार गठित State Dam Safety Organization (SDSO), भारत सरकार द्वारा अधिसूचित Dam Safety Act, 2021 में निहित प्राविधानों के अनुसार समयबद्ध रूप से कार्यवाही सुनिश्चित करेगा।

Signed by Hari Chandra
Semwal
Date: 29-04-2022 20:47:07
(हरिचन्द्र सेमवाल)
सचिव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सचिव, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार को उनके पत्र संख्या N-52011/1/2021-BM दिनांक 01 फरवरी, 2022 के संदर्भ में।
2. अध्यक्ष एवं समस्त सदस्यगण, State Dam Safety Organization (SDSO),
3. प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग को इस आशय से प्रेषित कि कृपया समिति के समस्त सदस्यगणों को अपने स्तर से अवगत कराने का कष्ट करें।
4. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
Signed by Jai Lal Sharma
Date: 02-05-2022 13:58:10

(जे0एल0शर्मा)
संयुक्त सचिव।